

## <u>प्रेस नोट</u> जनपद सीतापुर

## थाने का टाप-10 का अपराधी अवैध तमंचा व कारत्स के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध एवम् अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में दिनांक 18.09.2020 को थाना खैराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय के टॉप-10 के अपराधी रामिकशुन पुत्र ठाकुर लोध नि0ग्राम ईटारोर थाना खैराबाद सीतापुर को फिरोजपुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से एक अदद तंमचा 12 बोर एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना खैराबाद पर मु0अ0सं0 471/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर एवम् आपराधिक प्रवृत्ति का है। तथा थाने का टॉप-10 का अपराधी है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध करीब आधा दर्जन अभियोग चोरी,नकबजनी आदि के पंजीकृत है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u> रामिकशुन पुत्र ठाकुर लोध नि0 ग्राम ईटारोर थाना खैराबाद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 471/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना खैराबाद सीतापुर

बरामदगी- एक अदद तमंचा 12 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मप्रकाश शुक्ल
- 2. उ०नि० श्री अतुल शुक्ल
- 3. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह

- 4. का0 राम प्रवेश सिंह
- 5. का0 इस्लाम अली

## अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

- 1. मु०अ०सं० ३/१३ धारा ४५७७/३८० भादवि थाना कमलापुर,सीतापुर।
- 2. मु०अ०सं० ५०९/१७ धारा ४५७/३८० /४११ भादवि थाना पिसावां,सीतापुर।
- 3. मु0अ0सं0 511/17 धारा 457/380 /411 भादवि थाना पिसावां,सीतापुर।
- 4. मु0अ0स0 86/18 धारा 8/21 NDPS थाना खैराबाद सीतापुर
- 5. मु0अ0सं0 444/18 धारा 2/3 यू0पी0 गैन्गस्टर एक्ट थाना खैराबाद सीतापुर
- 6. मु०अ०सं० ४३६/१८ धारा ४११/४१३ भादवि थाना खैराबाद सीतापुर

